

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/3669

दिनांक 06/10/2025


उपरोक्त पत्र - वाबुलाल वनाम मृगिधारी तहसीलदार

पार्श्वना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुक्तदमा संख्या- 177/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 27/मूअ./2025 दिनांक 29/09/2025 के द्वारा राजस्थान मू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम अनातपुरा पटवारी हल्का अनातपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के मूगि खाता संख्या 162 में खातेदार वाबुलाल पुत्र रामू जाति अहीर के स्थान पर वाबुलाल पुत्र रामलाल जाति अहीर का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का अनातपुरा उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।


उपखण्ड अधिकारी
(अनिल कुमार)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/3670-71

दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ -

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का अनातपुरा तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
(अनिल कुमार)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

